



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-184

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 276752 दिनांक 08/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Narendra Kumar S/o RORAN SINGH	श्रीमती उषा गुप्ता पत्नी श्री पवन कुमार गुप्ता	54	175.00 SQ. YARD	Private	PINK CITY ARCADE Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना पिकसिटी आर्केड के भूखण्ड संख्या 54 क्षेत्रफल 175.00 वर्ग गज की लीजडीड श्रीमती उषा गुप्ता पत्नी श्री पवन कुमार गुप्ता के नाम से दिनांक 04.01.2011 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्रीमती उषा गुप्ता द्वारा दिनांक 18.04.2022 को श्री आलोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री नाथू लाल गुप्ता को रजिस्टर्ड मु.आम नियुक्त किया गया है। तत्पश्चात श्री आलोक कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 21.02.2023 को शुद्धि पत्र अरुण कुमार संचेती एच.यू.एफ जरिये कर्ता अरुण कुमार संचेती को किया



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

गया है। तत्पश्चात अरुण कुमार संचेती एच.यू.एफ जरिये कर्ता अरुण कुमार संचेती द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.05.2023 के द्वारा श्रीमती रजनी पत्नी श्री होरीलाल सैनी को कर दिया गया। तत्पश्चात श्रीमती रजनी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.12.2024 के द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रोरन सिंह को कर दिया गया। आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Narendra Kumar S/o RORAN SINGH को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।